फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस. एच. ओ. चाकसू बनाम रामजीलाल व अन्य

केस संख्या 47/2022 (गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22-02-2022	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी रामजीलाल व इलियास खान के अधिवक्ता उपस्थित है। विभागीय पैरोकार ने थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू की एफआईआर संख्या 428/2021 के अनुसार दिनांक 04.10.2021 को कीरतपुरा के जंगल पुलिस थाना चाकसू में पिकअप नम्बर आरजे 13 जीबी 5630 में 7 गो वंश (बडछे/सांड) को बांध रखा था। पिकअप नम्बर आरजे 14 जीएच 4336 में तीन सांड/बछडे गो वंश को भर कर बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के परिवहन किया जा रहा था, इसलिए गोवंश व पिकअपों को कब्जे राज लिया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू द्वारा जब्त गो वंश को कामधेनु गोशाला गरूडवासी चौराया, चाकसू में पहुँचा कर धारा 11 (ख) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं धारा 5, 8, 9, 11 (डी) राजजस्थान गो वंश अधिनियम के तहत यह इस्तगासा पेश किया है। इस्तगासा प्राप्त होने पर संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू से केश डायरी तलब की गई। उभय पक्ष को गोर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के कब्जे से पिकअप नम्बर आरजे 13 जीबी 5630 में सात गो वंश वछडे/सांड ठूंस-ठूंस कर भरे हुये पाये गये है। जिनमें एक की हालत नाजुक पाई गई है। अप्रार्थीगण ने गो वंश के परिवहन बाबत किसी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र/परिमिट न तो मौके पर प्ररतुत किया गया और ही दौराने सुनवाई प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 धारा 7-में अभिग्रहित गौ वंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की ही अधिकारिता है। इसके लिए गो वंश को थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू द्वारा पूर्व में ही कामधेनू गो शाला गरूडवासी चौराया चाकसू की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। गोवंश के लिए किसी ने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। पिकअप में गो वंश को विना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व विना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक कूरता के साथ ले जाते पाये गये है। इसके लिए अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 11 (ख) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। जिसमें न्यायालय	

जिला कलक्टर
जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस. एच. ओ. चाकसू बनाम रामजीलाल व अन्य

केस संख्या /2022 (गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशे
22-02-2022	द्वारा जब्त पिकअप को बतौर साक्ष्य सबूत तलब किया जा सकता है। धारा 11 (ख) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामले की सुनवाई की अधिकारिता इस न्यायालय को नही है। इसलिए प्रकरण में जब्त वाहनों को इस न्यायालय द्वारा जमानत सिपुदर्गी में दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थी रामजीलाल व इलियास खान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	

मूल केस डायरी प्राप्त
की [illegible] सिंह
HC-12252